

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

जनपद गोण्डा।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)बी के अनुसार

जनपद गोण्डा के पुलिस विभाग के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती है।

1. पुलिस अधीक्षक कार्यालय का गठन:—

पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थाई भवन में कार्यरत है। पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा के अन्तर्गत 04 सर्किल है, जिसमें 04 कोतवाली 13 थाने एवं 01 महिला थाना है, इस प्रकार कुल 04 सर्किल व 18 थाने पुलिस अधीक्षक महोदय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

1.1 जनपद में पुलिस का संगठन:—

जनपद की पुलिस संगठन निम्नलिखित प्रकार से

पुलिस अधीक्षक	अपर पुलिस अधीक्षक	क्षेत्राधिकारी सदर	कोतवाली नगर
			कोतवाली देहात
			थाना इटियाथोक
			थाना खरगूपुर
			महिला थाना
		क्षेत्राधिकारी मनकापुर	कोतवाली मनकापुर
			थाना छपिया
			थाना धानेपुर
			थाना मोतीगंज
			थाना खोडारे
		क्षेत्राधिकारी तरबगंज	थाना तरबगंज
			थाना वजीरगंज
			थाना नवाबगंज
			थाना उमरीबेगमगंज
		क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज	कोतवाली कर्नलगंज
			थाना परसपुर
थाना कटरा बाजार			
थाना कौडिया			

2—इसके अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य:—

दण्ड प्रक्रिया संहिता सन् 1991, पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन व अन्य विभिन्न अधिनियमों व नियमावलियों में पुलिस के कर्तव्य व अधिकारों का विवरण अंकित है जिसमें प्रमुख रूप से पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को अभियोगों की विवेचना व अपराध नियंत्रण आदि के काम में गिरफ्तार,जमानत,खाना तलासी, जामा तलासी के साथ वाहन की चेकिंग आदि के अधिकार प्रदत्त है। कानून व्यवस्था के परिपेक्ष्य में यातायात नियंत्रण हेतु किसी एक मार्ग को प्रतिबंधित करना या एकल मार्ग घोषित करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक को प्राप्त है।

“कर्तव्य के संबंध में बिन्दु सं0 01 पर विस्तृत विवरण किया गया है।”

3— निर्णय अथवा कार्यक्रमों के लागू करने के तरीके जिसमें देख रेख किये जाने के सभी स्तरों का विवरण:—

विभिन्न अधिनियमों व नियमावलियों के अनेसार बिन्दु संख्या 01 व 02 पर अंकित कर्तव्यों का निर्वाहन किया जाता है।

पुलिस अधीक्षक:—

संगठन के सम्पूर्ण प्रभारी है कर्मचारियों/अधिकारियों का स्थापन उनपर नियंत्रण तथा किये गये कार्यों की समीक्षा इनके द्वारा की जाती है।

पूरे जनपद में एक पद है इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक के कार्यों में सहयोग किया जाता है तथा अपने स्तर से पर्यवेक्षण किया जाता है।

पुलिस उपाधीक्षक:—

जनपद में चार पुलिस उपाधीक्षक है जनपद को संगठन के दृष्टि से चार क्षेत्रों में बाटा गया है क्रमशः सदर,कर्नलगंज,मनकापुर,तरबगंज प्रत्येक क्षेत्र के प्रभारी एक—एक पुलिस उपाधीक्षक बनाये गये है, इनके द्वारा अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले थानों के कार्यों का निकट पर्यवेक्षण व निर्देशन सुनिश्चित किया जाता है।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशों का कार्यान्वित कराने का उत्तरदायित्व राजपत्रित अधिकारी के रूप में इन्ही पर होता है।

थानाध्यक्ष:—

जनपद के उपरोक्त चार क्षेत्रों के अन्तर्गत कुल 18 थाने क्षेत्राधिकारी सदर के अन्तर्गत को0 नगर, को0 देहात, थाना इटियाथोक, खरगूपुर, क्षेत्राधिकारी मनकापुर के अन्तर्गत थाना मनकापुर, छपिया, खोडारे, धानेपुर, मोतीगंज, क्षेत्राधिकारी तरबगंज के अन्तर्गत थाना तरबगंज, नबाबगंज, वजीरगंज, उमरीबेगमगंज क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज के अन्तर्गत को0 कर्नलगंज, कटराबाजार, कौडिया, परसपुर तथा एक महिला थाना है जिसमें 09 थानों में निरीक्षक स्तर के तथा अन्य 09 थानों में उप निरीक्षक स्तर के थानाध्यक्ष अपने थाना क्षेत्र के पूर्ण प्रभारी का उत्तरदायी है इनके अधीनस्थ

उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी/महिला आरक्षीगण पर नियंत्रण कार्य वितरण पर्यवेक्षण व निर्देशन किया जाता है।

सर्किल सदर

01	डा०राजेश तिवारी	क्षेत्राधिकारी सदर	9454401373
02	श्री अभय प्रताप मल्ल	प्रभारी निरी०को० नगर	9454403489
03	श्री परमहंस यादव	प्रभारी निरी०को०देहात	9454403490
04	श्री अंगद राय	प्रभारी निरीक्षक खरगूपुर	9454403487
05	श्री इन्तखाब अहमद	प्रभारी निरीक्षक इटियाथोक	9454403483
06	श्रीमती संजू यादव	प्रभारी महिला थाना	9454404781

सर्किल मनकापुर

7.	श्रीअमित किशोर श्रीवास्तव	क्षेत्राधिकारी मनकापुर	9454401376
8.	श्री रमेश शर्मा	प्रभारी निरी०को० मनकापुर	9454403491
9.	श्री देवेन्द्र पाण्डेय	थानाध्यक्ष थाना धानेपुर	9454403482
10.	श्री परमानन्द तिवारी	थानाध्यक्ष छपिया	9454403495
11	श्री उमेश वाजपेयी	थानाध्यक्ष मोतीगंज	9454403492
12	श्री रमाशंकर यादव	थानाध्यक्ष थाना खोड़ारे	9454403488

सर्किल तरबगंज

13.	श्री विजय आनन्द	क्षेत्राधिकारी तरबगंज	9454401375
14.	श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह	प्रभारी निरी०थाना तरबगंज	9454403496
15.	श्री मथुरा राय	थानाध्यक्ष वजीरगंज	9454403497
16.	श्री विजयेन्द्र सिंह	प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज	9454403493
17.	श्री विनय कुमार सरोज	थानाध्यक्ष उमरीबेगमगंज	9454403481

सर्किल कर्नलगंज

18.	श्री शबीहुल हम्द	क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज	9454401374
19	श्री दिवाकर सिंह	प्रभारीनिरी०को० कर्नलगंज	9454403486
20.	श्री हर्ष वर्धन सिंह	थानाध्यक्ष परसपुर	9454403494
21.	श्री शशिकान्त यादव	प्रभारीनिरी०थानाकटरा बाजार	9454403484
22.	श्री दिनेश सिंह विष्ट	थानाध्यक्ष थाना कौडिया	9454403485

हल्का / चौकिया:-

सुविधा व जिम्मेदारी(उत्तर दायित्व) दिये जाने के दृष्टिकोण से थाना क्षेत्रों के हल्कों व चौकियों में विभाजित किया गया है जनपद में कुल 29 पुलिस चौकियां है जिनमें से बालपुर,भभुवा भानपुर रिपोर्टिंग चौकी है सामान्यतया हल्को व चौकियों के प्रभारी उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी को बनाया जाना हैं।

प्रतिसार निरीक्षक:-

जनपद मुख्यालय पर रिजर्व पुलिस लाइन्स स्थापित है जिसके प्रभारी प्रतिसार निरीक्षक है पुलिस लाइन्स में सशस्त्र पुलिस के साथ-साथ नागरिक पुलिस इमरजेन्सी का कोर्स आकस्मिकता के लिए उपलब्ध होता है जनपद थानों पुलिस लाइन्स में उपलब्ध समस्त शस्त्रों व राजकीय सम्पत्ति का रखरखाव/अभिलेखीकरण व सत्यापन आदि का कार्य का उत्तरदायित्व प्रतिसार निरीक्षक का होता है। खजाना गार्दो, खजाना स्कोर्ट, वीआईपी स्कोर्ट, बन्दियों के स्कोर्ट आदि की व्यवस्था पुलिस लाइन्स द्वारा संचालित होती है।

परिवहन शाखा:-

पुलिस लाइन्स के अन्तर्गत परिवहन शाखा स्थित है जिसके प्रभारी उप निरीक्षक के स्तर के है। इस शाखा द्वारा जनपद में पुलिस विभाग को प्राप्त सभी वाहनों का रख रखाव आवंटन आदि सुनिश्चित किया जाता है।

अग्निशमन:-

जनपद में मुख्यालय पर तथा मनकापुर तहसील मुख्यालय पर फायर स्टेशन स्थापित है जिसके प्रभारी निरीक्षक स्तर के अधिकारी है।

रेडियो शाखा:-

पुलिस की कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके प्रभारी प्रतिसार निरीक्षक रेडियो है शाखा का जिला नियंत्रण कक्ष पुलिस लाइन्स में स्थित है जो 24 घंटा कार्य करता है वारयलेस द्वारा नियंत्रण कक्ष का सभी थानों महत्वपूर्ण चौकियों, पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक/थानाध्यक्षों से सम्पर्क रहता है नियंत्रण कक्ष में पुलिस सेवा (नं0-100) हेतु फोन स्थापित है जिनपर जनता से प्राप्त सूचना या समस्याओं के प्राप्त होने पर तत्काल सम्बन्धित अधिकारी व थाने को समुचित कार्यवाही सुनिश्चित किया जाता है।

विधिविज्ञान:-

पुलिस विभाग में विधिविज्ञान शाखा खोला गया है जिसके प्रभारी नियुक्त है इस शाखा में प्रदर्श का सत्यापन कराया जाता है। लाशों के पंचायतनामा के समय फोटोग्राफी भी करायी जाती है जिससे लाशों का पहचान आसानी से हो सके।

अभिसूचना इकाई:-

पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्थानीय अभिसूचना इकाई स्थापित है जिसके प्रभारी निरीक्षक स्तर के हैं इस शाखा द्वारा राजनैतिक कर्मचारी व अन्य संगठनों की गतिविधियों पर दृष्टि रखते हुए उनके आन्दोलनात्मक कार्यक्रमों के बारे में सूचना प्रेषित की जाती है त्योहारों, मेलों व अन्य घटनाओं जिनमें भारी भीड़ व अन्य कारणों तथा साम्प्रदायिक आदि से शान्ति व्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता हो के बारे में सूचना संकलित की जाती है। जनपद में आने वाले पाकिस्तानी, विदेशियों का लेखा जोखा व उनकी गतिविधियों पर दृष्टि रखी जाती है।

4- कर्तव्य के निर्वाहन के लिए बनाये गये माप दण्ड:-

संगठन द्वारा विभिन्न कानून नियमों के अन्तर्गत कार्य किया जाता है सभी थानों के अन्तर्गत होने वाले अपराधों का वर्गीकरण विगत वर्षों के तुलनात्मक आकड़ों की समीक्षा कर तदनुसार दण्ड, पुरस्कार व छमता के अनुसार उचित स्थान पर नियुक्तियाँ की जाती है।

5- इस संगठन के कर्मचारियों के कार्यप्रणाली के संबंध में रूल्स, रेगुलेशन, निर्देश, मैनुअल और अभिलेखों का विवरण:-

पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन, आफिस मैनुअल, शासन, पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय व अन्य उच्चाधिकारियों के निर्देश पत्रावली बनायी गयी है उन्ही के आदेशों/निर्देशों का अनुपालन कराये जाने हेतु सर्व संबन्धित को निर्देश पत्रावली बनायी गयी है उन्ही के आदेशों/निर्देशों का अनुपालन कराये जाने हेतु सर्व संबन्धित को निर्देश जारी किये गये हैं।

6-संगठन द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों का श्रेणीबद्ध स्टेटमेन्ट:-

पुलिस विभाग में काइम रजिस्टर का मियाद को बीड करने की नहीं होती है उसे आजीवन रखा जाता है। इसी प्रकार जीडी/सीडी की मियाद पांच वर्ष होती है। पेंशन फाइल की मियाद 15 वर्ष होती है। हर पत्रों का समय अलग-अलग होता है उसी के अनुरूप अभिलेखों का रख रखाव होता है।

7-जनता के व्यक्तियों से निर्मित ऐसी कोई संस्था/व्यवस्था जो संगठन की नीति बनाये जाने या लागू किये जाने के सम्बन्ध में सलाह देता हो का विवरण:-

उक्त के सम्बन्ध में कोई ऐसी संस्था नहीं है जा संगठन की नीति बनाये जाने या लागू किये जाने के सम्बन्ध में सलाह देती हो। सभी थानों पर शान्ति समितियों का गठन किया गया है जिसमें सभी वर्गों का साम्प्रदायों के सम्भ्रान्त नागरिकों जनप्रतिनिधियों व पत्रकारों को नामित किया गया है त्यवहारों मेलों व अन्य अवसरों पर शान्ति समिति के सदस्य की बैठक सम्बन्धित थाने पर आयोजित की जाती है जिसमें समिति से सुझाव प्राप्त किये जाते हैं तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है

8- इस बिन्दु से सम्बन्धित सभी सूचनायें शून्य हैं

9-अधिकारी/कर्मचारी की डायरेक्टरी:-

क्र०सं०	पद	सी०यू०जी० न०
01	पुलिस अधीक्षक	9454400272
02	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401053
03	क्षेत्राधिकारी सदर	1373
04	को० नगर	3489
05	को०देहात	3490
06	थाना खरगूपुर	3487
07	थाना इटियाथोक	3483
08	महिला थाना	4781
09	क्षेत्राधिकारी मनकापुर	9454401376
10	को० मनकापुर	3491
11	थाना धानेपुर	3482
12	थाना छपिया	3495
13	थाना मोतीगंज	3492
14	थाना खोड़ारे	3488
15	क्षेत्राधिकारी तरबगंज	9454401375
16	थाना तरबगंज	3496
17	थाना वजीरगंज	3497
18	थाना नवाबगंज	3493
19	थाना उमरीबेगमगंज	3481
20	क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज	9454401374
21	को० कर्नलगंज	3486
22	थाना परसपुर	3494
23	थाना थानाकटरा बाजार	3484
24	थाना थाना कौडिया	3485

10- प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी की मासिक प्राप्तियां व नियमानुसार कम्पेशेसन आदि:-

उ०प्र० शासन व पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद से अधिकारियों/कर्मचारियों को मासिक बेतन प्राप्त होने की ग्रान्ट प्राप्त होती है उसी के सापेक्ष में वेतन भत्ते व अन्य देय का भुगतान नियमानुसार किया जाता है वर्तमान समय में उक्त धन अधिकारी/कर्मचारी को बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है देय कम्पनसेशन का भुगतान जनपद गोण्डा से अब न कराये जाने के कारण जनपद से आख्या शून्य है।

11.बजट:-

क्र०सं०	लेखा शीर्षक	चालू वित्तीय वर्ष	
		2015-2016	
		अनुदान	व्यय
01	वेतन , महंगाई एवं अन्य भत्ते	612442000	424302497
02	यात्रा भत्ता	7530000	7530000
03	ग्रीष्म एवं शीत कालीन व्यय	506000	506000
04	अभियुक्तों के भोजन पर व्यय		
05	अन्य छुद्र आकस्मिक व्यय		
06	फर्नीचर का क्रय एवं मरम्मत	1022000	1010100
07	छपाई पर व्यय	275000	275000
08	अपराधियों घायलों तथा लाशों के परिवहन पर व्यय	42800	9100
09	अंश कालिक मजदूरों का वेतन	32000	31350
10	विद्युत/प्रकाश व्यय	5831614	5831614
11	पुरस्कार	187130	186483
12	टेलीफोन का व्यय	8000	8000
13	पेट्रोल-डीजल पर व्यय	6629000	5717307
14	वहनों की मरम्मत पर व्यय		

12- सबसिडी कार्यक्रम के निस्पादन का ढंग

वर्तमान में विभाग में कोई उत्पादन कार्यक्रम प्रचलित नहीं है।

13- संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्त कर्ताओं का विवरण-

शून्य

14- संगठन को प्राप्त होने वाले अथवा उसके द्वारा रखे जाने वाले सूचनाओं के संबंध में विस्तृत विवरण (इलेक्ट्रानिक फॉर्म सूक्ष्म रूप से)

उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप में निवध्द होने के बाद उसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा।


15- अधिनियमान्तर्गत नागरिकों को प्रदत्त सुविधाए:-

क्र०सं०	कार्य	कार्यवाही किसके स्तर से	समयावधि
01	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना	पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा	प्रातः 10:00 बजे से शाम 17:00 बजे तक (राजकीय अवकाश छोड़कर)
2	सूचना निरीक्षण करने का स्थान	उपरोक्त	उपरोक्त
3	सूचना प्रदान किये जाने की समय सीमा	उपरोक्त	विलम्बतम 30 दिन तथा जीवन रक्षा एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में 48 घंटे में
04	सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि (10 रु प्रथम घंटा, प्रथम घंटा के पश्चात 05 रु प्रति 15 मिनट)	पुलिस अधीक्षक कार्यालय की आंकिक शाखा में नगद लोक प्राधिकारी को पोस्टल आर्डर	उपरोक्त
05	सूचना प्राप्त करने हेतु जमा कराई जाने वाली धनराशि (10रु प्रति आवेदन पत्र और गरीबी रेखा की या गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति को निःशुल्क)	उपरोक्त	उपरोक्त

16- जनसूचना अधिकारियों के नाम/पद व अन्य विवरण:-

पुलिस विभाग में जन सूचना शाखा जनपद वार उपलब्ध होता है जनपद स्तर पर भी बनाया गया है जिसके प्रभारी उ०नि० स्तर के अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं इस शाखा के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है जो जनपद स्तर से उपर की सूचनायें मागी जाती हैं उसे प्रदेश स्तर से संकलित कर संबंधित को भेजी जाती है यह शाखा पुलिस विभाग के लिए अति महत्वपूर्ण है बिना सूचनाओं के आदान प्रदान के कोई कार्य सम्भव नहीं है।

17-अन्य कोई विहित सूचना:- शून्य


 अपर पुलिस अधीक्षक,
 जन सूचना अधिकारी
 जनपद गोण्डा।